

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/पै.मै./एफ-37316/2026/2/2

दिनांक : 25/6/26

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08 एवं एफ.14 (88) वित्त (नियम) /2008-I दिनांक 31.12.2009 तथा एफ. 15 (1) एफ.डी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14(88) एफ.डी/रुल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88) एफ.डी/रुल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिक जिन्होंने राज्य सेवा/संवर्ग में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/एमएसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती) व पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा/संवर्ग में प्रथम नियुक्ति/ कार्यग्रहण तिथि	एसीपी/एम एसीपी देय दिनांक व पूर्ण सेवावधि वर्षीय	वर्तमान प्राप्त ग्रेड-पे/ पे मैट्रिक्स लेवल	देय ग्रेड-पे/ पे मैट्रिक्स लेवल
1	हनुमान सहाय मीना, वरिष्ठ रेडियोग्राफर	पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जयपुर	22.02.1999	22.02.2026 27 वर्षीय	लेवल-11	लेवल-12
2	नाथू लाल मीणा, वरिष्ठ रेडियोग्राफर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	11.02.1999	11.02.2026 27 वर्षीय	लेवल-11	लेवल-12
3	रामकिशन यादव, वरिष्ठ रेडियोग्राफर	उप जिला चिकित्सालय फागी	23.09.1998	23.09.2025 27 वर्षीय	लेवल-11	लेवल-12
4	बिजेन्द्र कुमार मीणा, वरिष्ठ रेडियोग्राफर	राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय काला कुआ अलवर	12.02.1999	12.02.2026 27 वर्षीय	लेवल-11	लेवल-12
5	अशोक कुमार यादव, वरिष्ठ रेडियोग्राफर	सर पदमपत् नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर	20.02.1999	20.02.2026 27 वर्षीय	लेवल-11	लेवल-12

नोट:-

- उक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा तथा वेतन निर्धारण एसीपी/एमएसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से किया जावेगा।
- उक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जॉच विचाराधीन होती हैं तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 25/6/26

क्रमांक :- ई-33/पै.मै./एफ-37316/2026/2/2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संबंधित नियंत्रण / प्रशासनिक अधिकारी।
- सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश अपलोड करें।
- संबंधित कार्मिक को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ
- आदेश/निजी पत्रावली

Document Certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 25-06-2026 04:47:06

RajKaj Ref No.:
23030717